जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन–पी.आर.एन दक्षिण–II/2023/डी– 1793 दिनांक : 10.8.2023

श्री जगदीश नारायण चौपड़ा पुत्र श्री रामजीवन चौपडा
निवासी–चौपड़ा फार्म, गणपतपुरा हीरापथ के सामने,
न्यू सांगानेर रोड, जयपुर।

विषयः–कीर्ति नगर कॉ–ऑपरेटिव हॉउसिंग सोसायटी लि. की योजना चौपड़ा एन्क्लेव के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या ए–12–नोर्थ पार्ट एण्ड ए–13 क्षेत्रफल 986.20 व.ग. (825.27 व.मी.) के आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन किये जाने के सम्बन्ध में।

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 02.08.2023 को भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु किये गये आवेदन कीर्ति नगर कॉ–ऑपरेटिव हॉउसिंग सोसायटी लि. की योजना चौपड़ा एन्क्लेव के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या ए–12–नोर्थ पार्ट एण्ड ए–13 क्षेत्रफल 986.20 व.ग. (825.27 व.मी.) पर अधिकतम बेसमेन्ट + स्टील्ट + 18 मीटर ऊंचाई के आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये गये थे उनकी स्वीकृति जोनल लेवल कमेटी के निर्णय दिनांक 03.08.2023 के द्वारा किया गया है। जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 03.08.2023 में लिये गये निर्णयानुसार आवासीय भूखण्ड पर आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की गई हैः–

1. यह भवन अनुज्ञा दिनांक लीजडीड जारी दिनांक से 05 वर्ष तक प्रभावी हैं।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की जानकारी में आया तो प्राधिकरण को भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द करने का अधिकार होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
4. भवन विनियम 2020 के विनियम के अनुसार अपशिष्ठ जल का शुद्विकरण एवं रिसाईकिलींग हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
5. भवन विनियम 2020 के विनियम के अनुसार ठोस कचरा निस्तारण हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
6. भवन विनियम 2020 के विनियम के अनुसार सौर ऊर्जा संयत्र संबधी भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
7. भवन विनियम 2020 के विनियम के अनुसार भवन में विधुत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संबधित विधुत वितरण एजेन्सी के प्रावधानों की पालना एवं एनर्जी कर्न्जेवेशन बिल्डिंग कोड के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
8. आप द्वारा भवन विनियम 2020 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त/उपायुक्त संबंधित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्ते अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
9. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप अधोहस्ताक्षरकर्ता को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगे।
10. आप द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2020 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माण द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपायुक्त (जोन–साउथ–I) को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
11. भवन विनियम 2020 की धारा 15.5 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
12. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पडे या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
13. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायेगें कि वो सडक की ओर निकले हुए नहीं हों।
14. भूस्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत संस्थानिक ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सेक्टर–12 मानसरोवर स्कीम, जयपुर–302020
फोन : 0141–2569696(एक्सटेंशनः संबंधित कार्यालय) e-mail : (संबंधित अधिकारी का ईमेल)
D/Rajendra atp/map

15. भूस्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
16. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
17. स्वीकृत मानचित्र में विभिन्न वर्गों के लिए फ्लेट्सों की संख्या के साथ संबंधित कन्स्ट्रेक्शन फर्म का नाम निर्माण प्रारम्भ करने की दिनांक व निर्माण पूर्ण करने की संभावित अवधि मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्टरूप से दर्शाने होगें।
18. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना एकीकृत भवन विनियम 2020 के विनियम 10.1.16 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
19. भवन परिसर में आगतुकों की पार्किंग करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
20. प्राईवेट डवलपर्स (निजी विकासकर्ता) को मौके पर क्वालिटी कन्ट्रोल लैब स्थापित करनी होगी ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की समय–समय पर जाँच की जाए।
21. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होगें।
22. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावें।
23. भवन का उपयोग प्रांरभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावें जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावें ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
24. भवन विनियम 2020 की धारा 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वत निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।
25. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगें।
26. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
27. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावें।
28. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते है कि आप द्वारा परियोजना के पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नगरीय निकाय में जमा कराना होगा, उसके पश्चात ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
29. निर्माणाधीन/निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावें।
30. भवन निर्माण स्वीकृति मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन नही किया जायेगा। यंदि किसी प्रकार का उल्लंघन किया जाता है तो यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
31. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृत मानचित्र मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की जानकारी में आया तो प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा को रद्द करने का अधिकार प्राधिकरण को होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हक नही होगा।
32. भवन विनियम 2020 के विनियम के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा जिसमें आयुक्त/उपायुक्त सम्बन्धित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व

उपायुक्त
जोन-पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर

अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन शर्तें अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेंगी।

33. भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं संबंधित उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करनी होगी।
34. भवन विनियम 2020 के विनियम के अनुसार भवन विनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
35. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी अथवा संबंधित अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
36. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा ।
37. तकनिकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यादि तकनिकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घंटे के अन्दर यथोचित प्रमाण पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
38. भवन् विनियम, 2020 की अनुपालना में भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित किया जावें।
39. भवन विनियम, 2020 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।''
40. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लम्बित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगें।
41. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर संपूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की और) लगाया जावें जिसमे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
42. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री के आसपास के भवनो के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारो और पर्दे लगवायें जायें।
43. भवन विनियम, 2020 के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई भवन निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा एवं विवादित भूमि पर दिये गये निर्माण स्वीकृति के लिये संबंधित निकाय जिम्मेदार नहीं होगा, क्योकि निर्माण स्वीकृति केवल मात्र प्रश्नगत भूमि पर क्या निर्माण किया जा सकता है अथवा अनुज्ञेय है यही दर्शाता है।
44. उपरोक्त वर्णित शर्तों एवं एकीकृत भवन विनियम, 2020 अनुसार अन्य सभी सम्बधित शर्त का पालन किया जाना होगा, उक्त की पालना नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।

संलग्नः—अनुमोदित भवन मानचित्र की प्रति।

उपायुक्त, पीआरएन (दक्षिण—II)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर।

उपायुक्त जोन-पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय) जविप्रा, जयपुर

SHEET NO. - 01 TITLE :- SITE PLAN, FLOOR PLANS, AREA CALCULATIONS

जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 3/8/23 को रखा जाकर भवन मानचित्र अनुमोदित किया गया।

सहायक नगर नियोजक
पी.आर.एन.(दक्षिण) ज.वि.प्रा.,जयपुर

उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

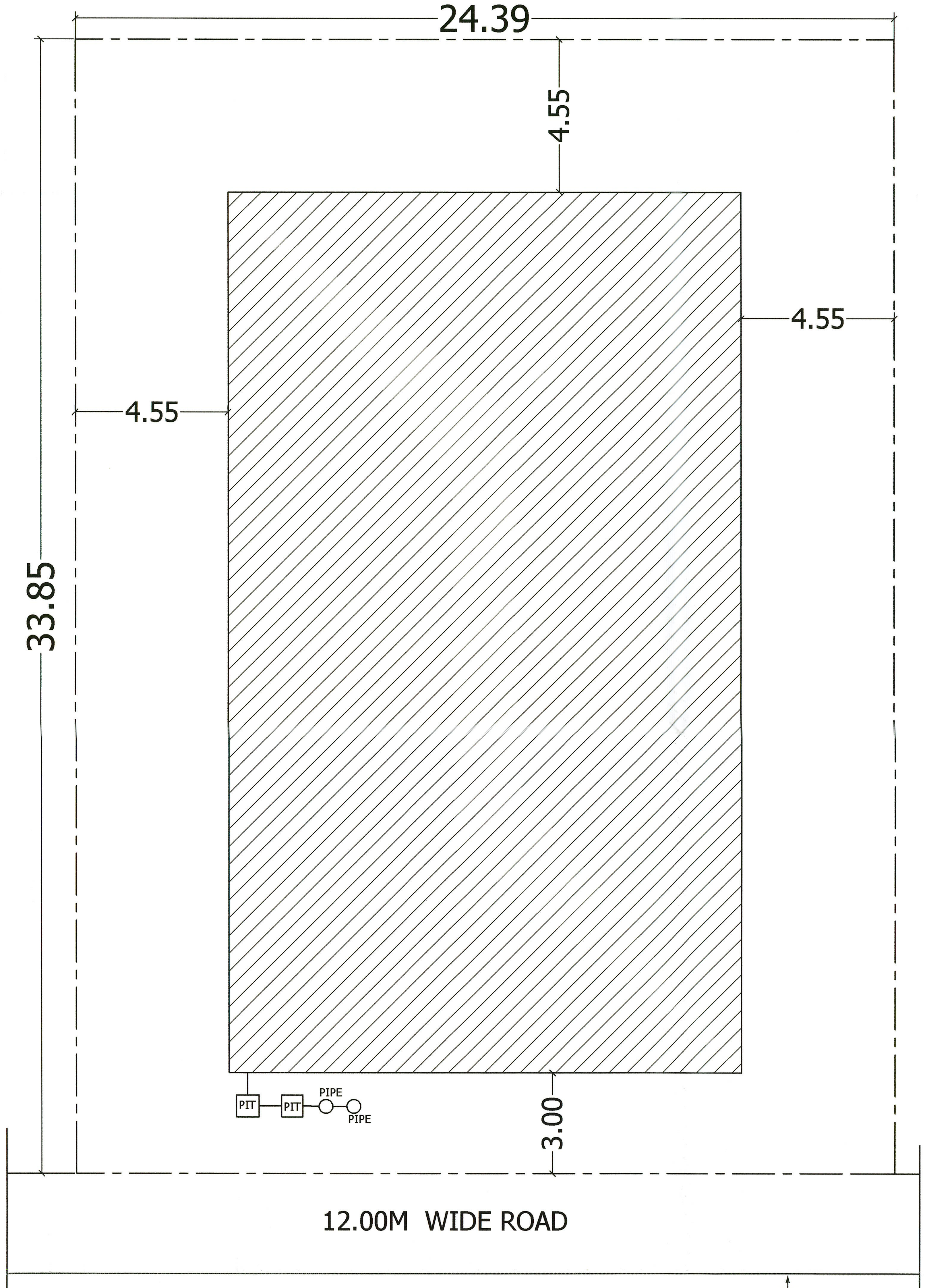

SITE PLAN

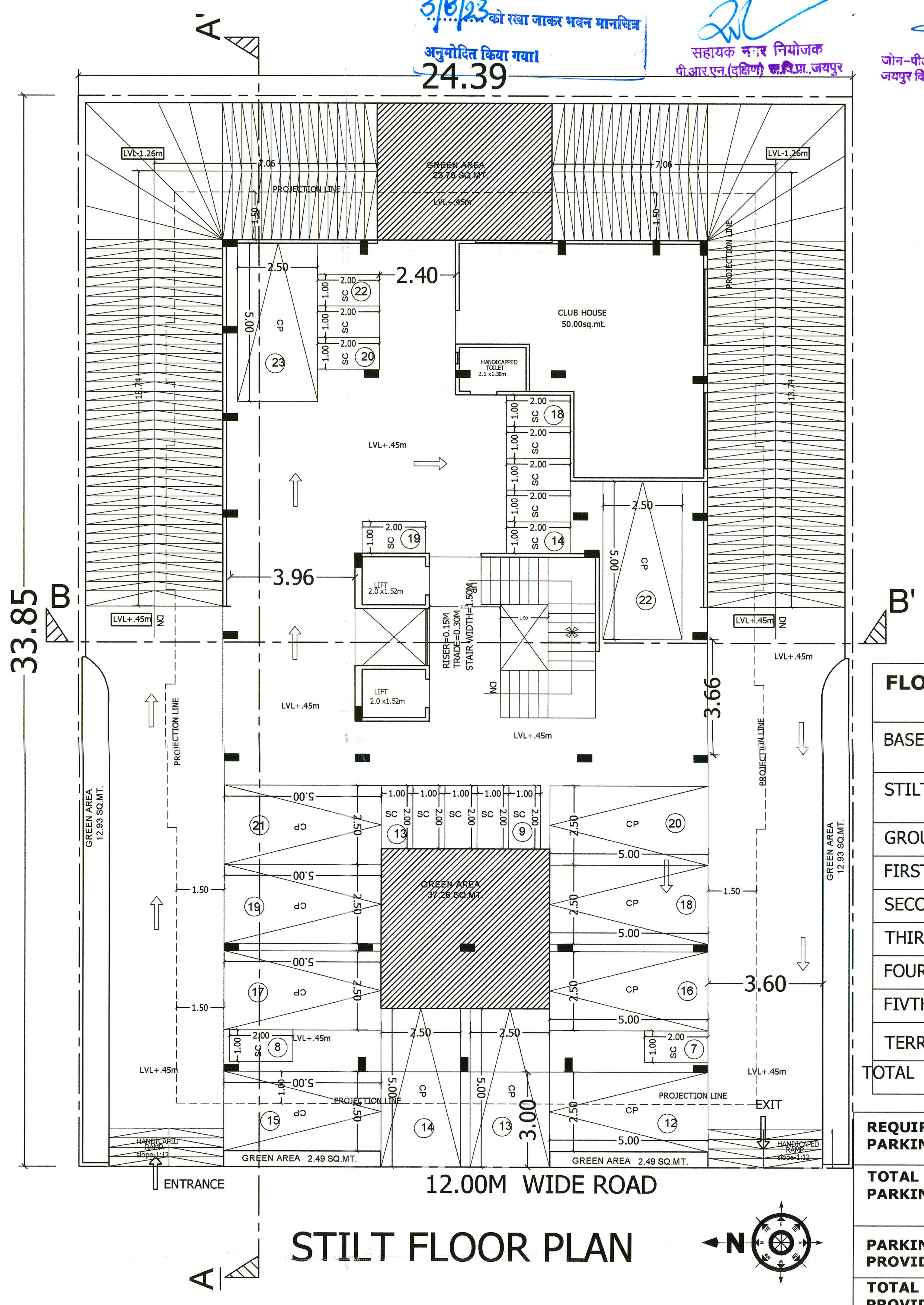

STILT FLOOR PLAN

AREA CALCULATIONS

PLOT NO.	A-12(N.P) & A-13	
SCHEME	CHOPRA ENCLAVE,MANSAROVAR, TEH-SANGANER, JAIPUR.	
PLOT AREA	825.27 SQ.MT.	
PARAMETERS	**AS PER BYELAWS**	**PROPOSED**
SETBACKS		
FRONT SIDE I SIDE II BACK	3.0MT. 4.50MT. 4.50MT. 4.50MT.	3.0MT. 4.55MT. 4.55MT. 4.55MT.
GROUND COVERAGE	WITH IN THE SETBACKS	WITH IN THE SETBACKS
MAXIMUM HEIGHT	STILT +18.0 MT.	STILT + 18.0 MT.
PERMISSBLE B.A.R.	2.0 (1650.54 SQ.MT.)	3.78 (3160.82 SQ.MT.)
GREEN AREA	10% (82.52 SQ.MT.)	11.13 % (91.86SQ.MT.)
CLUB HOUSE	50.00 SQ.MT.	50.00 SQ.MT.

FLOOR NAME	BLOCK AREA	SERVICE SHAFT	G.B.U.A.	LIFT WELL	B.A.R
BASEMENT FLOOR	482.02 SQ.MT	6.74 SQ.MT.	475.28 SQ.MT.		
STILT FLOOR	401.97 SQ.MT	8.41 SQ.MT.	393.56 SQ.MT.	6.08 SQ.MT.	50.00 sq.mt.
GROUND FLOOR	532.96 SQ.MT.	8.41 SQ.MT.	524.55 SQ.MT.	6.08 SQ.MT.	518.47 SQ.MT.
FIRST FLOOR	532.96 SQ.MT.	8.41 SQ.MT.	524.55 SQ.MT.	6.08 SQ.MT.	518.47 SQ.MT.
SECOND FLOOR	532.96 SQ.MT.	8.41 SQ.MT.	524.55 SQ.MT.	6.08 SQ.MT.	518.47 SQ.MT.
THIRD FLOOR	532.96 SQ.MT.	8.41 SQ.MT.	524.55 SQ.MT.	6.08 SQ.MT.	518.47 SQ.MT.
FOURTH FLOOR	532.96 SQ.MT.	8.41 SQ.MT.	524.55 SQ.MT.	6.08 SQ.MT.	518.47 SQ.MT.
FIVTH FLOOR	532.96 SQ.MT.	8.41 SQ.MT.	524.55 SQ.MT.	6.08 SQ.MT.	518.47 SQ.MT.
TERRACE FLOOR	36.78 SQ.MT.		36.78 SQ.MT.		0.00 SQ.MT.
TOTAL	4118.53 SQ.MT.	65.61 SQ.MT.	4052.93SQ.MT.	42.56 SQ.MT.	3160.82 SQ.MT

REQUIRED PARKING	3160.82 SQ.MT / 115 = 27.48 E.C.U VISITOR'S PARKING = 27.48 X 10% = 2.74 E.C.U.
TOTAL REQUIRED PARKING	27.48+2.74= 30.22 E.C.U. 75 % = 23 CAR 25% =22 SCOOTER
PARKING PROVIDED	23 CAR 22 SCOOTER
TOTAL PARKING PROVIDED	30.33 E.C.U.
UNITS	24 UNITS.

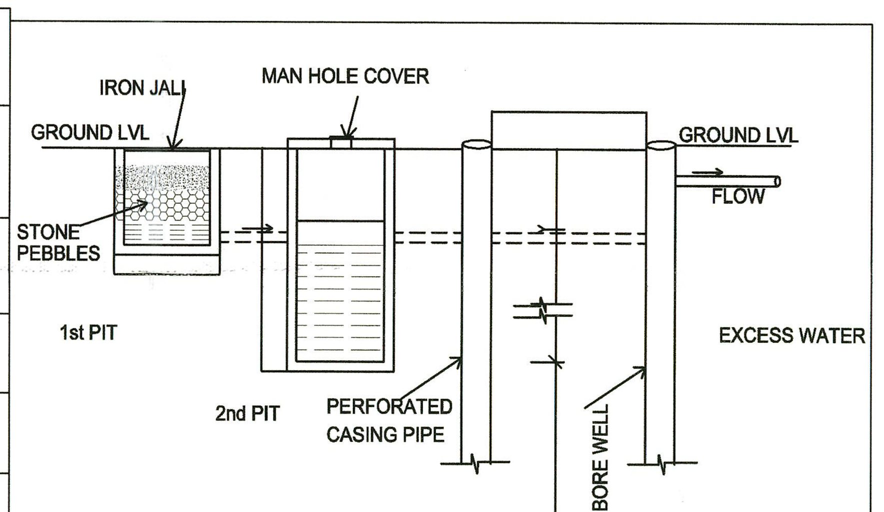

WATER HARVESTING DETAILS

TITLE:- SUBMISSION DRAWINGS SITE PLAN, FLOOR PLANS, AREA CALCULATIONS	PROJECT:- PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT FOR JAGDISH NARYAN CHOPRA A-12(N.P) & A-13 CHOPRA ENCLAVE,MANSAROVAR, VILL-GANPATPURA TEH-SANGANER ,JAIPUR.	CLIENT NAME:- JAGDISH NARYAN CHOPRA	ARCHITECT: SURYAPRAKASH ARCHITECT SURYA PRAKASH CA/2006/37839	NORTH :
SCALE:- 1= 100 DATE:				

SHEET NO. - 02 TITLE :- FLOOR PLANS

ज़ोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 3/3/21 को रखा जाकर भवन मानचित्र अनुमोदित किया गया।

सहायक नगर नियोजक
पी.आर.एन.(दक्षिण) ज.वि.प्रा.,जयपुर

उपायुक्त
जोन-पीआरएन(दक्षिण-तृतीय)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

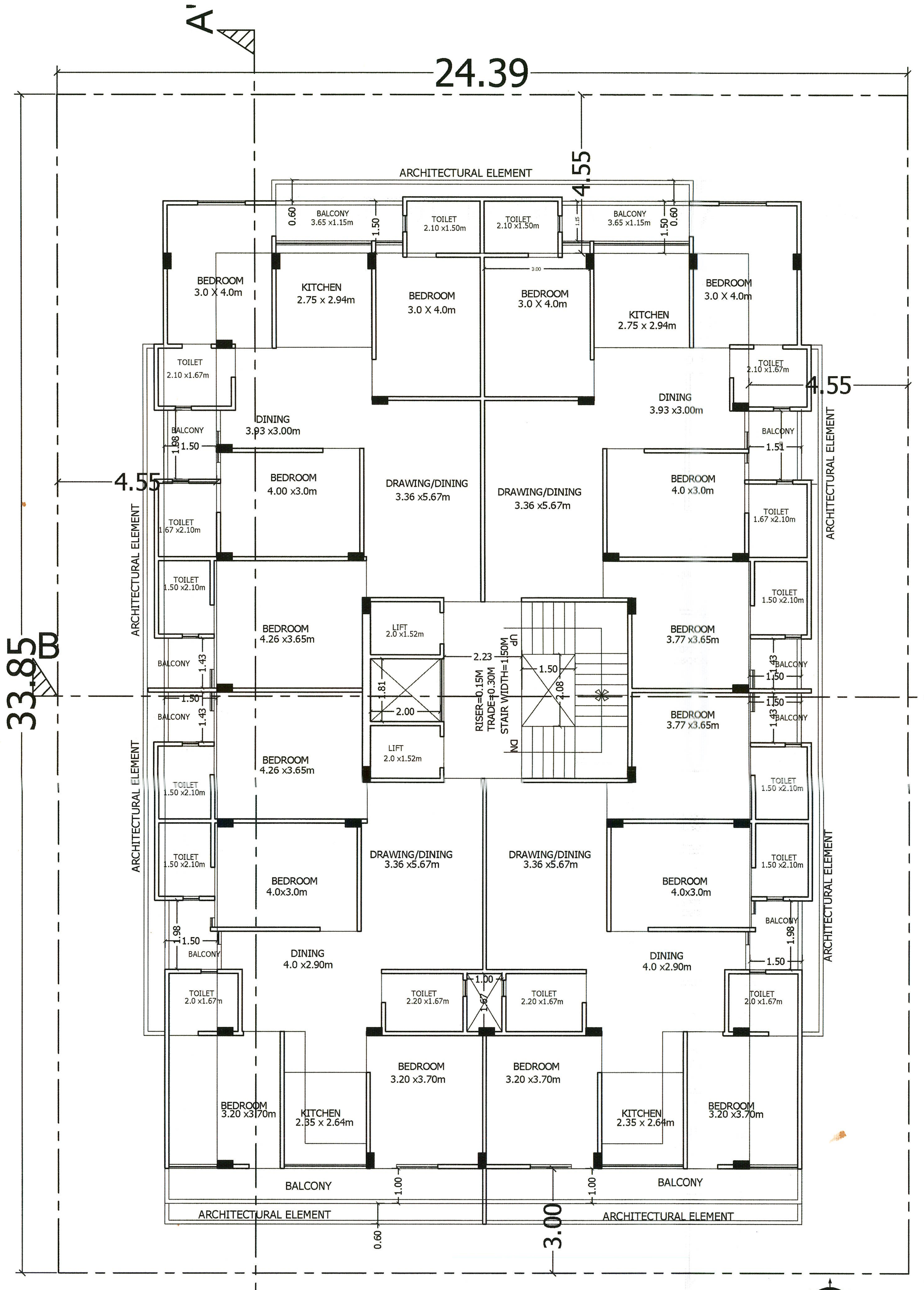

TYPICAL FLOOR PLAN

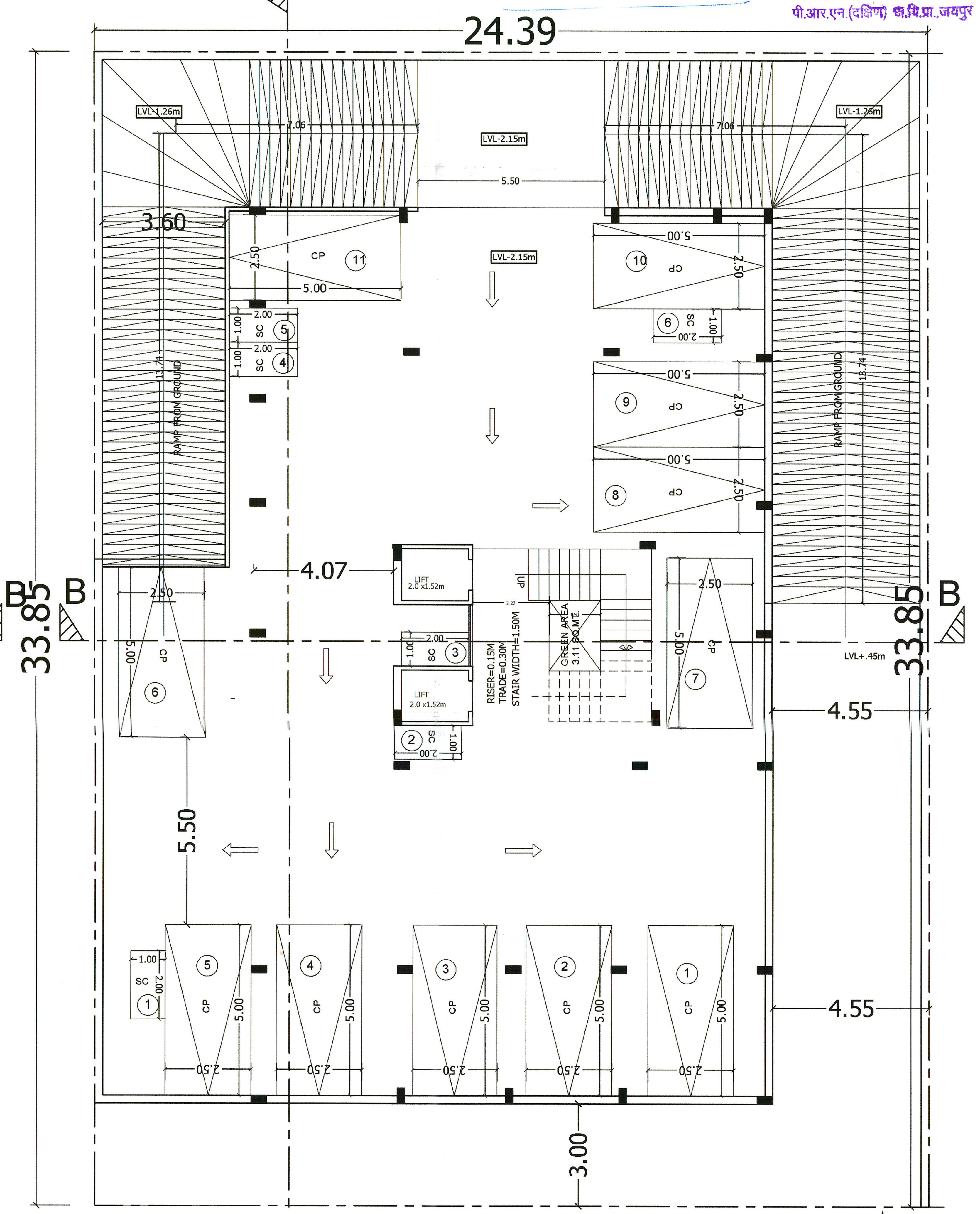

BASEMENT FLOOR PLAN

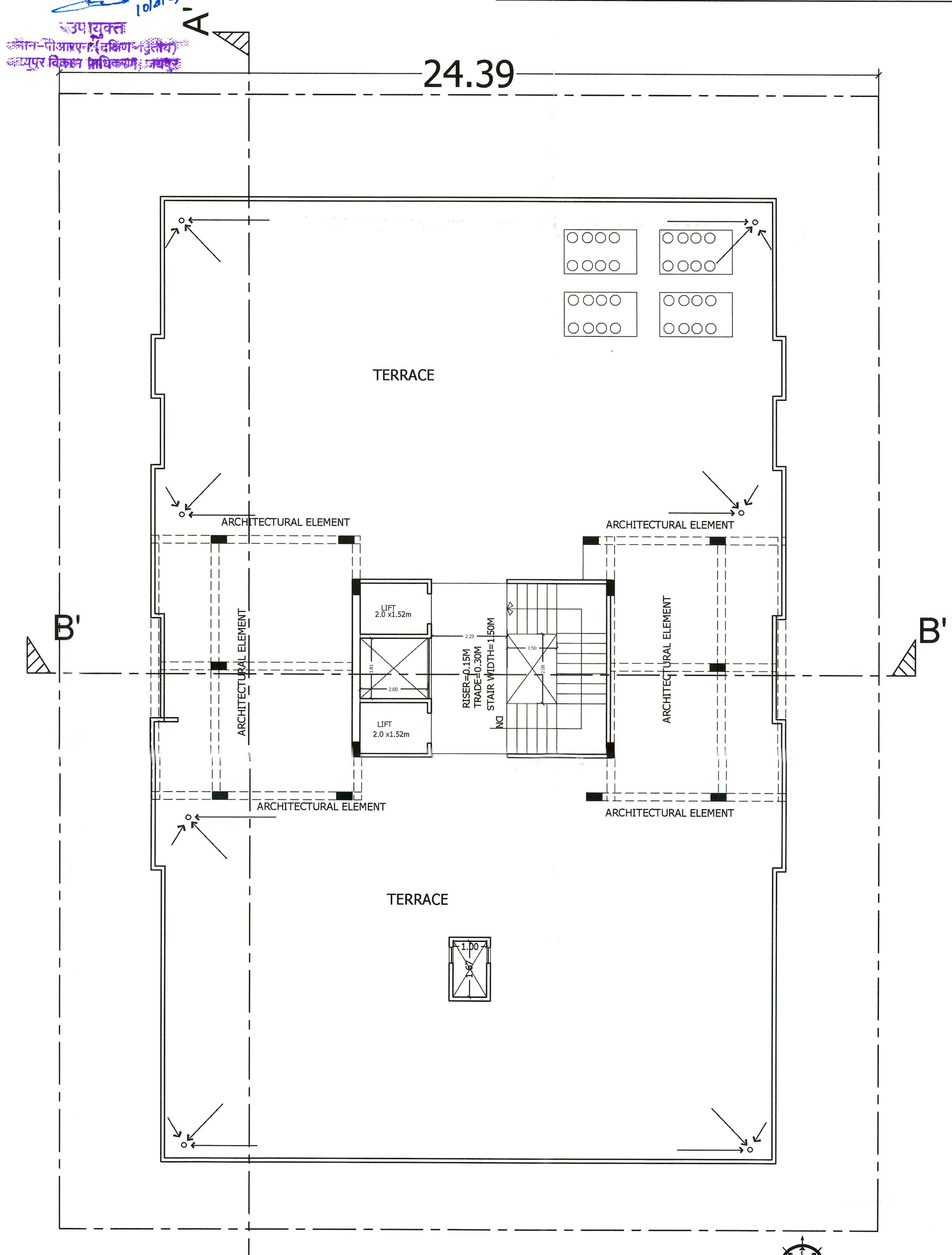

TERRACE FLOOR PLAN

TITLE:- SUBMISSION DRAWINGS FLOOR PLANS,	PROJECT:- PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT FOR JAGDISH NARYAN CHOPRA A-12(N.P) & A-13 CHOPRA ENCLAVE,MANSAROVAR, VILL-GANPATPURA TEH-SANGANER ,JAIPUR.	CLIENT NAME:- JAGDISH NARYAN CHOPRA	ARCHITECT: SURYAPRAKASH	NORTH :
SCALE:- 1= 100 DATE:				

ARCHITECT SURYA PRAKASH CA/2006/37839

SHEET NO. - 03

TITLE :-

ELEVATIONS

जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक
3/4/23.... को रखा जाकर भवन मानचित्र
अनुमोदित किया गया।

सहायक नगर नियोजक
पी.आर.एन.(दक्षिण) ज.वि.प्रा. जयपुर

उपायुक्त

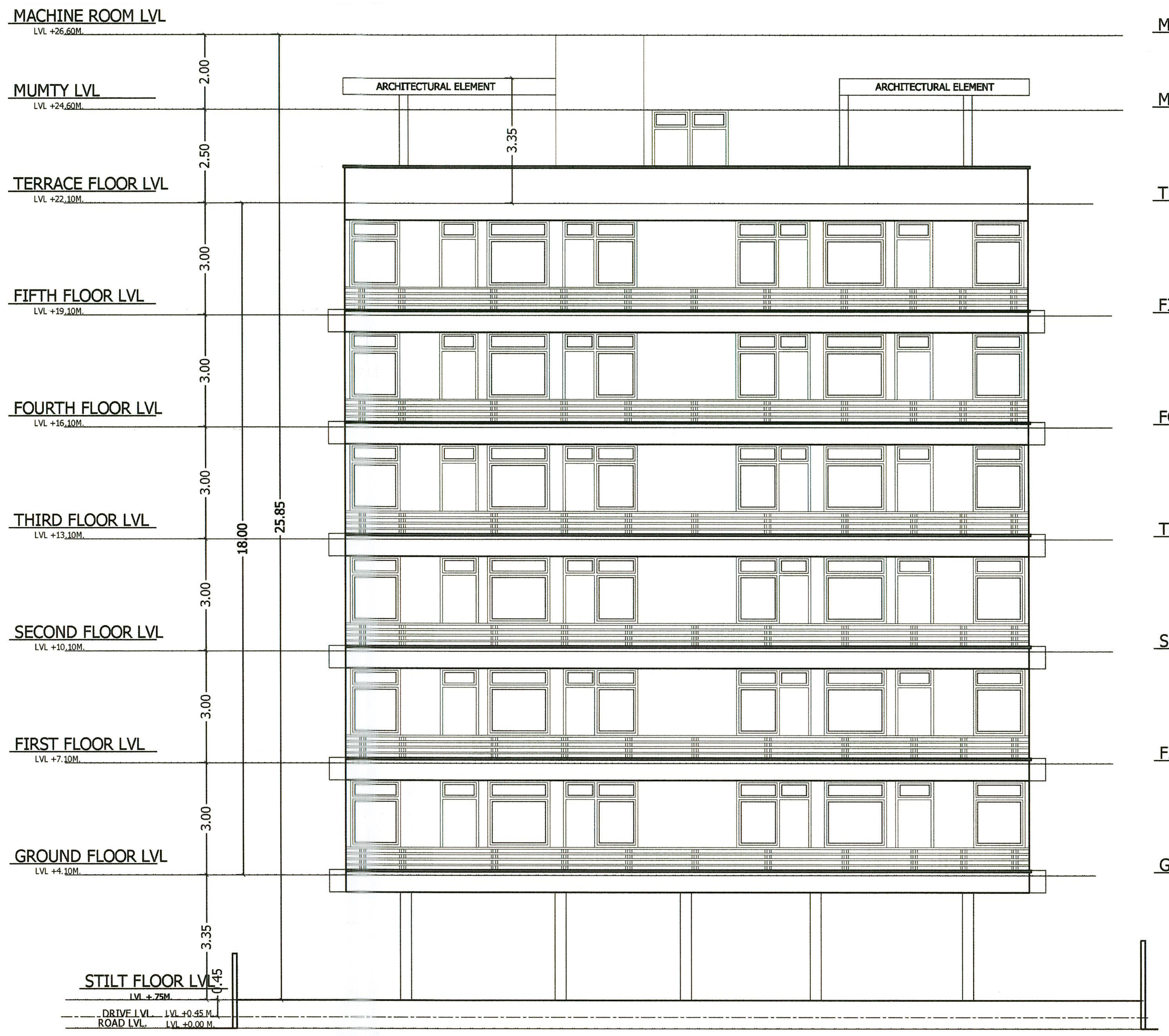

WEST SIDE ELEVATION

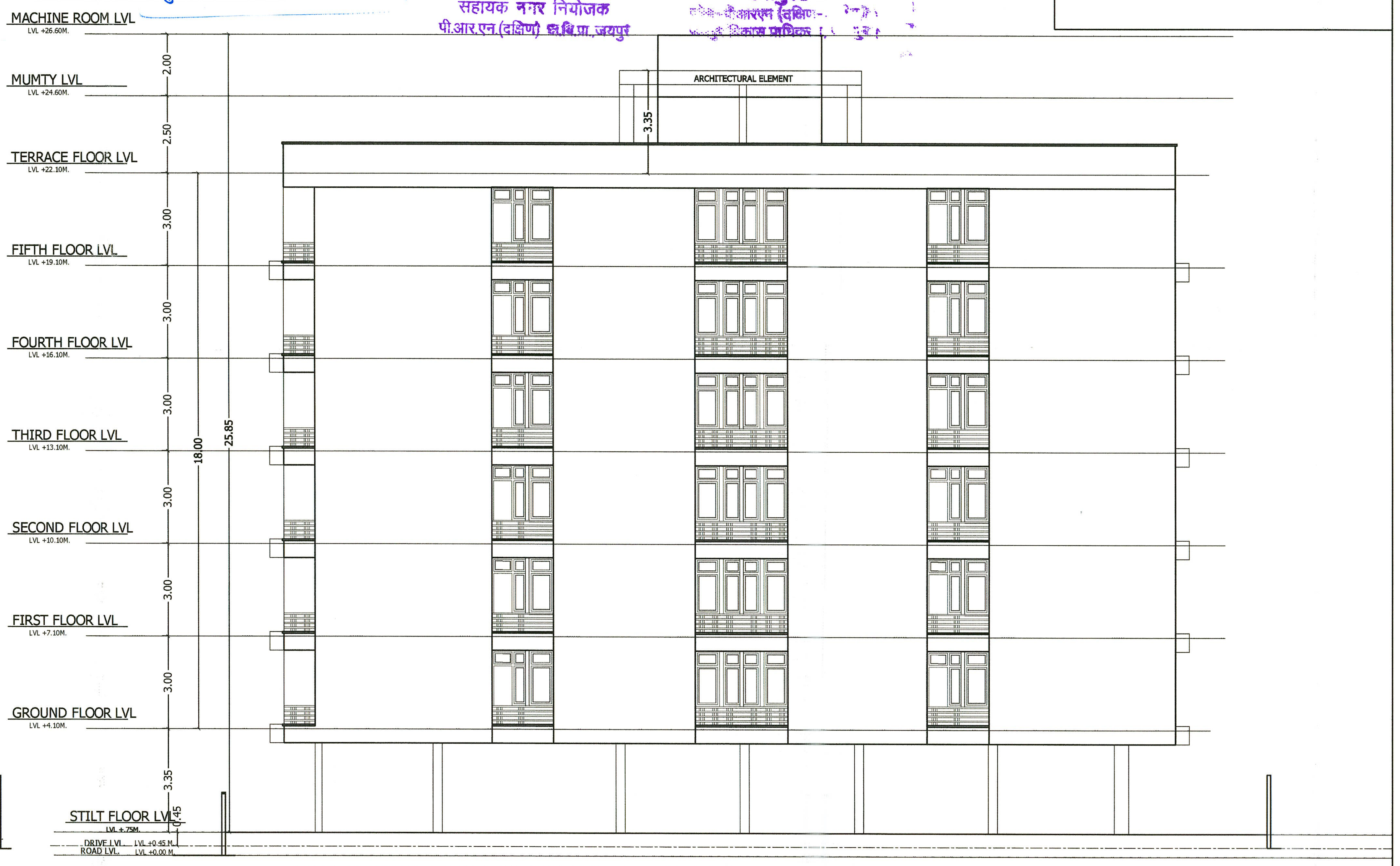

NORTH SIDE ELEVATION

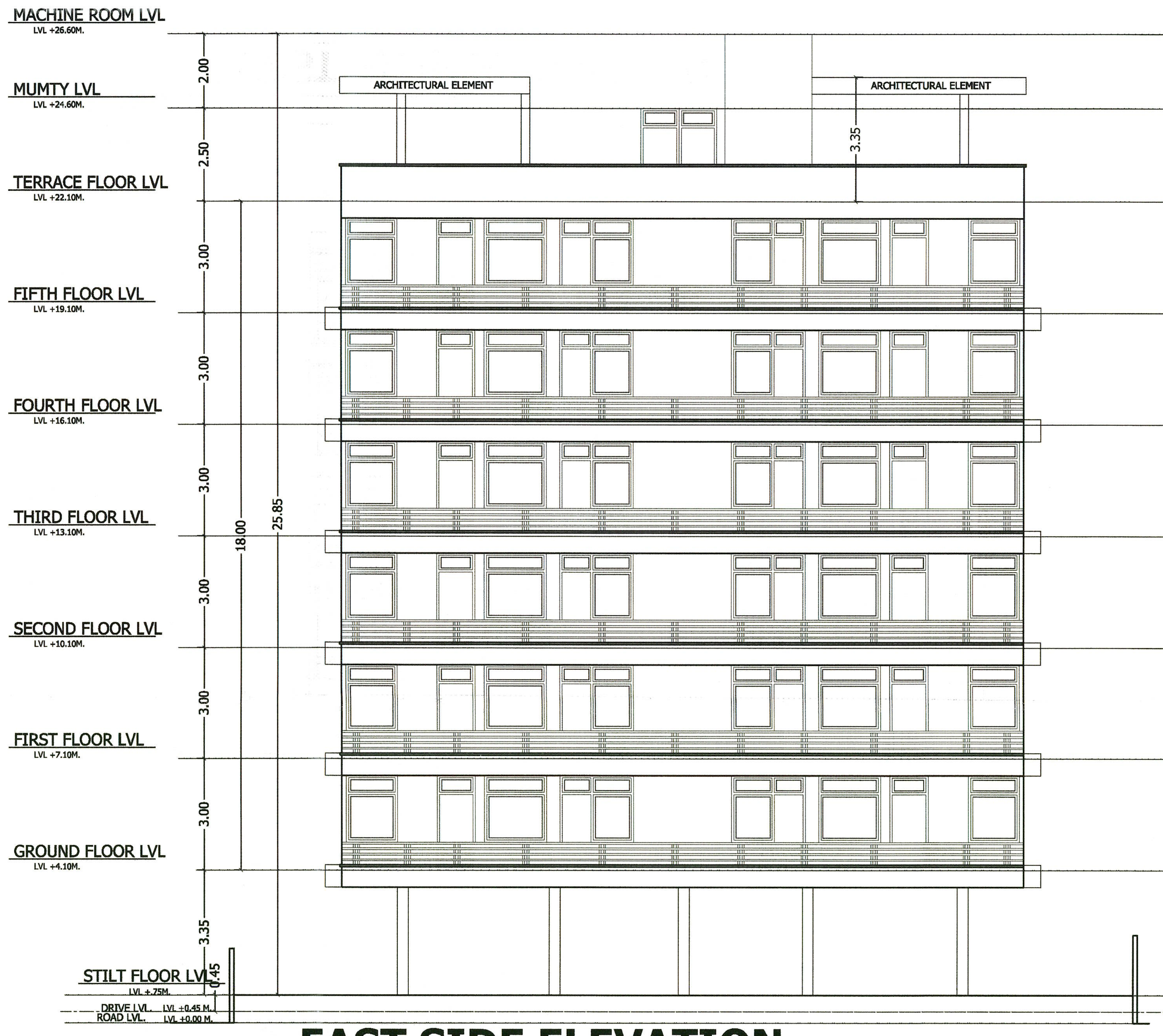

EAST SIDE ELEVATION

SOUTH SIDE ELEVATION

TITLE:-	PROJECT:-	SCALE:-	NORTH :	CLIENT NAME:-	ARCHITECT:
SUBMISSION DRAWINGS ELEVATIONS	PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT FOR JAGDISH NARYAN CHOPRA A-12(N.P) & A-13CHOPRA ENCLAVE,MANSAROVAR, VILL-GANPATPURA TEH-SANGANER ,JAIPUR.	1= 100	N	JAGDISH NARYAN CHOPRA	SURYAPRAKASH ARCHITECT SURYA PRAKASH CA/2006/37839

SHEET NO. - 04

TITLE :-

SECTIONS

जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 3/8/23 .... को रखा जाकर भवन मानचित्र अनुमोदित किया गया।

सहायक नगर नियोजक
पी.आर.एन.(दक्षिण) ज.वि.प्रा.,जयपुर

उपायुक्त
जोन–पीआरएन (दक्षिण–द्वितीय)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

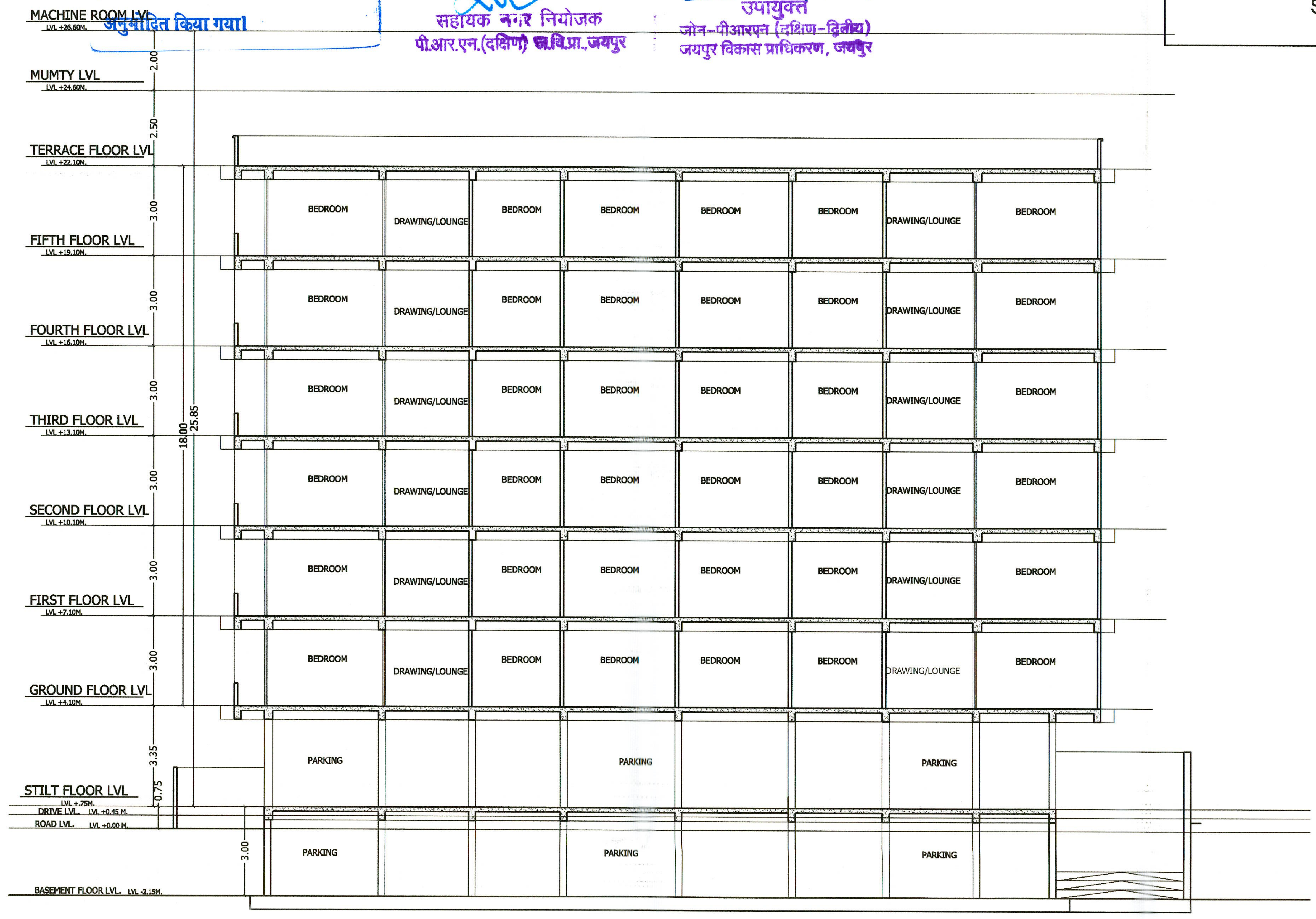

SECTION @ A-A'

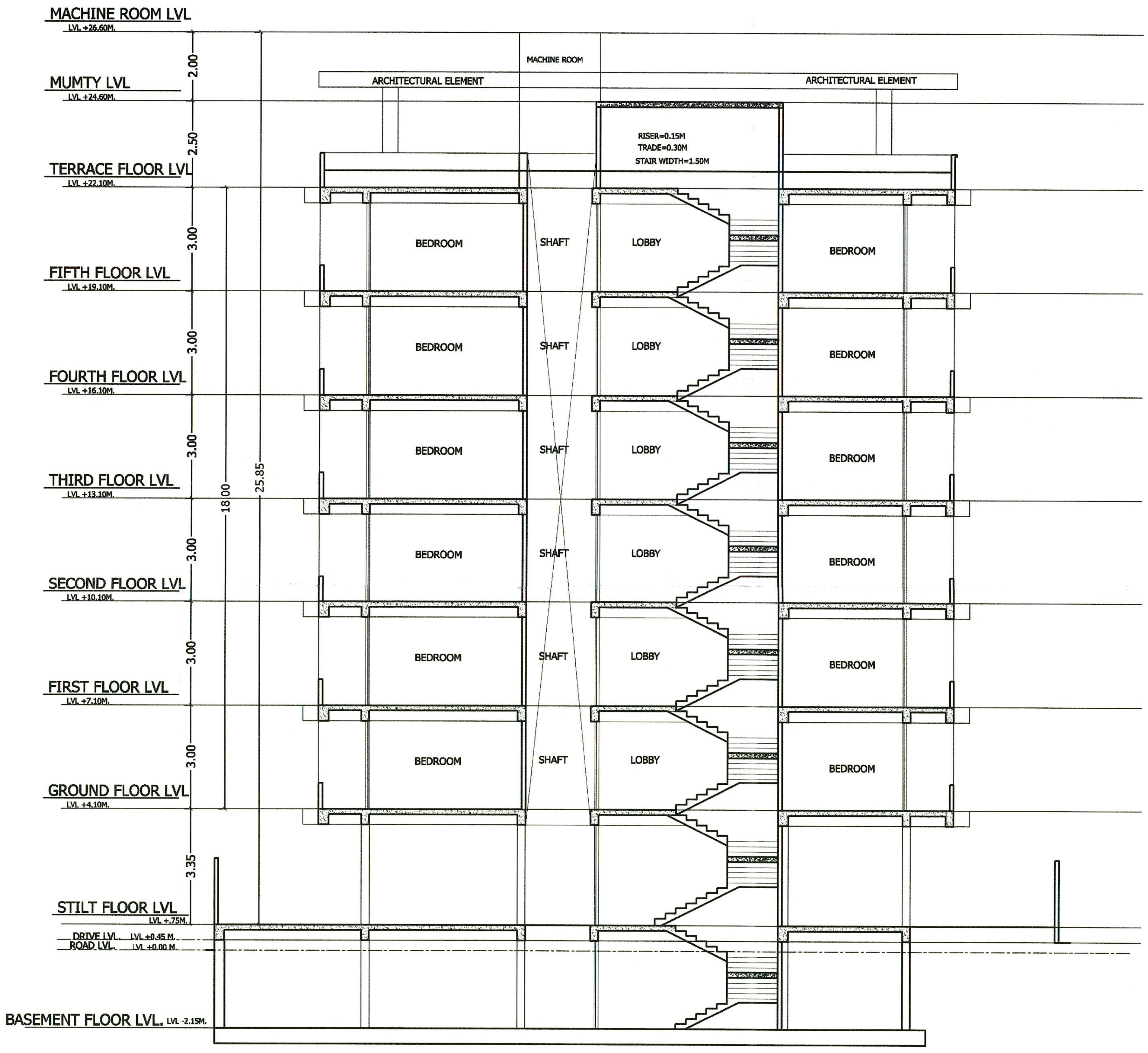

SECTION @ B-B'

TITLE:-

SUBMISSION DRAWINGS
SECTIONS

SCALE:- 1= 100	DATE:

PROJECT:-

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT FOR
JAGDISH NARYAN CHOPRA
A-12(N.P) & A-13CHOPRA ENCLAVE,MANSAROVAR,
VILL-GANPATPURA TEH-SANGANER ,JAIPUR.

CLIENT NAME:-

JAGDISH NARYAN CHOPRA

ARCHITECT:
SURYAPRAKASH

ARCHITECT
SURYA PRAKASH
CA/2006/37339

NORTH :

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

07 JUN 2024

6

नॉन ज्यूडिशियल

3128

16/7/2024

दिनांक 16/7/2024

S 647037

संशोधन–पत्र

श्री जगदीश प्रसाद चौपडा पुत्र श्री रामजीवन चौपडा, निवासी– चौपडा फार्म, गणपतपुरा, हीरापथ के सामने, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर, राज0 को कीर्ति नगर कॉ–ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि0 की योजना चौपडा एन्क्लेव के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या ए–12–नोर्थ पार्ट एण्ड ए–13 क्षेत्रफल 986.20 वर्गगज का भवन मानचित्र अनुमोदन पत्र कमांक 1793 दिनांक 10.08.2023 को जारी किया गया था एवं उक्त भूखण्ड का नाम हस्तानान्तरण पत्र क्रमांक 2032 दिनांक 04.10.2023 को मैसर्स क्वालिटी किंग कन्स्ट्रक्शन कम्पनी जरिये पार्टनर श्री भवानी सिंह चौधरी पुत्र श्री श्योजीराम चौधरी एवं श्री जगदीश नारायण चौपडा पुत्र श्री रामजीवन चौपडा के नाम जारी किया गया था।

उक्त भूखण्ड के जारी भवन मानचित्र अनुमोदन पत्र व अनुमोदित मानचित्र में सहवन से क्षेत्रफल 986.20 वर्गगज (824.58 वर्गमीटर) के स्थान पर क्षेत्रफल 986.20 वर्गगज (825.27 वर्गमीटर) अकिंत हो गया है एवं नाम हस्तानान्तरण पत्र में लीजडीड की दिनांक 02.08.2023 के स्थान पर 10.08.2023 अंकित हो गया है

अतः भूखण्ड के जारी भवन मानचित्र अनुमोदन पत्र व अनुमोदन मानचित्र में भूखण्ड का क्षेत्रफल 986.20 वर्गगज (825.27 वर्गमीटर) के स्थान पर क्षेत्रफल 986.20 वर्गगज (824.58 वर्गमीटर) एवं नाम हस्तानान्तरण पत्र में लीजडीड की दिनांक 10.08.2023 के स्थान पर 02..08.2023 पढा व समझा जावें। उक्त संशोधन पत्र पूर्व में जारी भवन मानचित्र अनुमोदन पत्र कमांक 1793 दिनांक 10.08.2023 एवं नाम हस्तानान्तरण पत्र क्रमांक 2032 दिनांक 04.10.2023 का अभिन्न अंग रहेगा।

उपायुक्त, जोन पी.आर.एन.(दक्षिण–द्वितीय)

जोन-पी.आर.एन.(दक्षिण-द्वितीय)

जविप्रा, जयपुर

क्रम संख्या 00304 दिनांक 12/7/2024

मुद्रांक का मूल्य [illegible]

क्रेता का नाम : M/s Quality King Construction Company Through Partners Bhawani Singh Choudhary and Jagdish narayan chopra

पिता/पति का नाम

पता 23 Krishna Complex Krishna Sarovar Mansarovar Jaipur

मुद्रांक खरीदने का आशय [illegible]

मिथलेश गुप्ता
स्टाम्प विक्रेता ला.नं. 31/2017
65, गंगोत्री नगर, गोपालपुरा, जयपुर

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प राशि पर प्रभारित अधिभार	
आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं हेतु [illegible] 10% रुपये	50
[illegible] 20% रुपये	100
कुल योग हस्ताक्षर स्टाम्प विक्रेता	150